

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

राम विलास पासवान,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पटना।

विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-09 मई, 2017

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-00-104-मनोरंजन और सत्कार भत्ते-0001-आतिथ्य व्यय विपत्र कोड-04-2013001040001 के अंतर्गत रू० 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मात्र का दिनांक-31.03.2018 तक व्यय हेतु आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब० 15/बी०एस०जी०-19/2017-428/वि० दिनांक-31.03.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-00-104-मनोरंजन और सत्कार भत्ते-0001-आतिथ्य व्यय के अंतर्गत रू० 70,00,000/- (सत्तर लाख रुपये) मात्र का बजट उपबंध किया गया है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक-ब० 15/बी०एस०जी०-19/2017-428/वि० दिनांक-31.03.2017 के आलोक में व्यय हेतु वर्तमान में रू० 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) मात्र की राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है।

विषय शीर्ष	आय-व्यय अनुमान (वर्ष 2017-18)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	इस पत्र के द्वारा दिया जा रहा आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
20-अन्य प्रशासनिक व्यय 0001.20.01 आतिथ्य व्यय	70,00,000	जिला पदाधिकारी, पटना	20,00,000	20,00,000
		विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना	30,00,000	30,00,000
योग -04- 2013.00.114. 0001 आतिथ्य व्यय	70,00,000 (सत्तर लाख) रू०		50,00,000 (पचास लाख) रू०	50,00,000 (पचास लाख) रू०

3. आवंटित राशि का व्यय मांग सं०-04 के मुख्यशीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-00-104-मनोरंजन और सत्कार भत्ते-0001-आतिथ्य व्यय विपत्र कोड-4-2013001040001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटनादेश संख्या एवं तिथि का भी उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र की निकासी की जायेगी।

क्रमशः...

5. किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा न ही आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किया जायेगा।

6. प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विषयशीर्षवार व्यय तथा अवशेष आवंटन का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(राम विलास पासवान)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-08-1023/2017.....०३..... पटना-15, दिनांक-.....०९.....मई, 2017
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-08-1023/2017.....०३..... पटना-15, दिनांक-.....०९.....मई, 2017
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- ए०/नया०/बजट-08-1023/2017.....०३..... पटना-15, दिनांक-.....०९.....मई, 2017
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/लेखापाल, नयाचार प्रशाखा/
आई०टी०मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।